45649/2020/HR Dept

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28042020-219207
CG-DL-E-28042020-219207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 158] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 2020/वैशाख 8, 1942
No. 158] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 2020/VAISAKHA 8, 1942

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2020

पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, २०२०

फा. सं. पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/११.—पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम २०१३ (२०१३ का २३) की धारा ५२ की उपधारा (२) के खंड (ख) के साथ पठित उसकी धारा ११ की उपधारा (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एतद् द्वारा पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, २०१५ में संशोधन करते हुए निम्न विनियम बनाता है, नामत:-

(१) इन विनियमों का नाम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, २०२० है।

(२) यह विनियम शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।

(३) पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, २०१५ में: -

विनियम ६ में, उप-विनियम (४) के खंड (ख) की अनुसूची में :-

(क) तीसरी पंक्ति के स्तंभ ३ में, ग्रेड डी, ई एवं एफ (श्रेणी घ, ङ एवं च) हेतु अर्हता की मौजूदा अपेक्षाएँ निम्नलिखित से प्रतिस्थापित हो जाएगी, अर्थात: -

"सामान्य धारा में अधिकारियों के लिए मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय (शिक्षा- शाखा) में मास्टर की उपाधि, विधि में स्नातक की उपाधि, इंजीनियरिंग में स्नातक की उपाधि, सीए, सीएफए, सीएस, सीडब्ल्यूए।

विधिक धारा में अधिकारियों के लिए मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संसथान से विधि में स्नातक की उपाधि।

अनुसंधान धारा में अधिकारियों के लिए सांख्यिकी/अर्थशास्त्र/वाणिज्य/व्यवसाय प्रबंधन (वित्त) [बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन (फाइनेंस)]/ अर्थमिति (एकोनोमैट्रिक्स) में मास्टर की उपाधि।

तकनीकी धारा में अधिकारियों के लिए इंजीनियरिंग [विद्युत् (इलेक्ट्रिकल)/ इलेक्ट्रॉनिक्स/ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्यूनिकेशन्स/ सूचना प्रोधोगिकी (इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी)/कम्प्यूटर विज्ञानं] में स्नातक की उपाधि/ कम्प्यूटर एप्लिकेशन में मास्टर की उपाधि / किसी भी विषय (शिक्षा-शाखा) में स्नातक की उपाधि [कंप्यूटर / सुचना प्रोधोगिकी में स्नातकोत्तर (जिसकी अवधि कम से कम २ वर्षो की हो) के साथ]।”

(ख) चौथी पंक्ति के स्तम्भ ३ में, ग्रेड 'ए (श्रेणी ‘क’) में अधिकारियों की भर्ती हेतु आयु की अधिकतम सीमा के संबंध में, अंक '२७' अंक '३०' से प्रतिस्थापित हो जाएगा।

सुप्रतिम बंदोपाध्याय, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा./19/2020-21]

पादलेख:

1. मूल विनियम, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) विनियम, २०१५, भारत के राजपत्र में १४ मई, २०१५ को, सं. पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/११ के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।
2. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (कर्मचारी सेवा) (प्रथम संशोधन) विनियम, २०१८, भारत के राजपत्र में ३१ अक्टूबर २०१८ को, सं. पीएफआरडीए/१२/आरजीएल/१३९/११ के माध्यम से प्रकाशित किये गए थे।

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2020

PENSION FUND REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (EMPLOYEES' SERVICE) (AMENDMENT) REGULATIONS, 2020

F. No. PFRDA/12/RGL/139/11 – In exercise of the powers conferred by sub–section (2) of section 11 read with sub–clause (b) of sub–section (2) of section 52 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013 (Act no. 23 of 2013), the Pension Fund Regulatory and Development Authority hereby makes the following regulations to amend the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015, namely,: -

1. These regulations maybe called the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2020.
2. These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015:-

In regulation 6, in the schedule of clause (b) of sub-regulation (4), -

(a) In column 3 of row 3, for qualification for Grade D, E and F, the existing educational qualification requirements shall be substituted with the following clauses, namely,:-

“Master's Degree in any discipline, Bachelor's Degree in Law, Bachelor's Degree in Engineering from a recognized university, CA, CFA, CS, CWA for officers in the General Stream.

Bachelor's Degree in Law from a recognised University/Institute for officers in the Legal Stream.

Master's Degree in Statistics / Economics / Commerce / Business Administration (Finance) / Econometrics for officers in the Research Stream.

Bachelor's Degree in Engineering (electrical/ electronics/ electronics and communication/ information technology/ computer science)/ Masters in Computer Application/ Bachelor's Degree in any discipline with a post graduate qualification (minimum 2 years duration) in computers/ information technology for officers in Technical Stream."

(b) In column 3 of row 4, maximum age for recruitment of officers in Grade 'A' the existing figure "27" shall be substituted with the figure "30".

SUPRATIM BANDYOPADHYAY, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./19/2020-21]

Footnote :

1. The Principal Regulations, The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) Regulations, 2015 were published in the Gazette of India on 14th May, 2015 vide no. PFRDA/12/RGL/139/11.

2. The Pension Fund Regulatory and Development Authority (Employees' Service) (First Amendment) Regulations, 2018 were published in the Gazette of India on 31st October, 2018 vide no. PFRDA/12/RGL/139/11.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2020.04.28 20:05:25 +05'30'